न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 89 / 2020

नागर पुत्र कालू, जाति सैनी, निवासी फूलेराव नगर तन बडवासी, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

––अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ।

––रेस्पोडेन्ट

––

अपील अ0 धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 31.01.2020 अदालत तहसीलदार नवलगढ़ पीठासीन अधिकारी श्री कपील कुमार (आर0टी0एस0) मु0 उनवानी सरकार बनाम नागर मु0नं0 40 / 19 अ0 धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

––

उपस्थित:–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह, एडवोकेट–अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय–अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 22.02.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार नवलगढ के निर्णय दिनांक 07.09.2018 के विरुद्व मय प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट के अनुसार जमीन हाल खसरा नं. 114 रकबा 2.54 है0 किस्म गै0मु0 जोहड़ ग्राम फुलेराव नगर पटवार हल्का बड़वासी तहसील नवलगढ़ में स्थित है। अदालत मातहत ने उक्त जमीन में से 0.02 है0 जमीन पर तथाकथित रूप से पक्की दीवार व टीन सैड बनाकर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट को अदालत मातहत ने तथाकथित रूप से अतिक्रमी मानकर अतिक्रमण स्थल से बेदखल किये जाने व शरह लगान का 50 गुणा अर्थात एक रूपये के आर्थिकदण्ड (तावान) से दण्डित किया जाने का दिनांक 31.01.2020 को आलौच्य निर्णय पारित किया है जिसके विरुद्व अपील इन आधारो पर पेश है कि अदालत मातहत तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा पारीत आलौच्य निर्णय दिनांक 31.01.2020 खिलाफ कानून न्याय एवं पत्रावली हैं। मौजूदा प्रकरण में धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के प्रावधान लागू नही होते तथाकथित रूप से अतिक्रमण स्थल पर कब्जा अपीलान्ट का काफी वर्षो से है। प्रकरण में तथाकथित रूप से अतिक्रमण स्थल की किस्म गै0मु0 जोहड़ गलत रूप से दर्ज है। जहां सद्‌भाविक कब्जा व किस्म का विवाद हो वहां रेगूलर कार्यवाही बाद शपथ पूर्वक साक्ष्य के ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट की जवाबदेही को नजर अंदाज किया है। अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय में अपीलान्ट कैसे अतिक्रमी है कोई आधार दर्ज नही किया आलौच्य निर्णय स्पष्ट नही है। कानून से निर्णय जैर बहस में अतिक्रमण का आधार स्पष्ट दर्ज होना चाहिए। अदालत मातहत ने अपीलान्ट की जवाब देही को आलौच्य निर्णय में डिस्कस नही किया। खसरा नम्बर 114 गै0मु0 जोहड व अपीलान्ट के खातेदारी की जमीन पास–पास में है इसी स्थिति में पुराने पैमाइस व सर्वे शीट के मुताबिक अपीलान्ट की जमीन व खसरा नम्बर 114 का सीमाज्ञान आलौच्य निर्णय से पूर्व किया जाना चाहिए था। चूंकि प्रकरण में उपरोक्त आशय की सीमाज्ञान रिपोर्ट नही है इसी स्थिति में अपीलान्ट को खसरा नं. 114 की जमीन में अतिक्रमी नही माना जा सकता। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाकर अदालत मातहत तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 31.01.2020 निरस्त किया जावे।

जिला कलक्टर झुंझुनूं

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि मौजूदा प्रकरण में धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के प्रावधान लागू नही होते तथाकथित रूप से अतिक्रमण स्थल पर कब्जा अपीलान्ट का काफी वर्षो से है। प्रकरण में तथाकथित रूप से अतिक्रमण स्थल की किस्म गै0मु0 जोहड़ गलत रूप से दर्ज है। जहां सद्भाविक कब्जा व किस्म का विवाद हो वहां रेगूलर कार्यवाही बाद शपथपूर्वक साक्ष्य के ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय में अपीलान्ट कैसे अतिक्रमी है कोई आधार दर्ज नही किया आलौच्य निर्णय स्पष्ट नही है कानून से निर्णय जैर बहस में अतिक्रमण का आधार स्पष्ट दर्ज होना चाहिए अदालत मातहत ने अपीलान्ट की जवाब देही को आलौच्य निर्णय में डिस्कस नही किया। खसरा नम्बर 114 गै0मु0 जोहड़ व अपीलान्ट के खातेदारी की जमीन पास–पास में है इसी स्थिति में पुराने पैमाइस व सर्वे शीट के मुताबिक अपीलान्ट की जमीन व खसरा नम्बर 114 का सीमाज्ञान आलौच्य निर्णय से पूर्व किया जाना चाहिए था चूंकि प्रकरण में उपरोक्त आशय की सीमाज्ञान रिपोर्ट नही है इसी स्थिति में अपीलान्ट को खसरा न. 114 की जमीन में अतिक्रमी नही माना जा सकता। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाकर अदालत मातहत तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 31.01.2020 निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म गै0मु0जोहड की भूमि है जो राजकीय भूमि है। जिस पर अपीलान्ट ने पक्काडंडा व टीनशेड बनाकर अतिक्रमण कर रखा है जिसका अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जो विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम फुलेराव नगर स्थित भूमि खसरा नम्बर 114 रकबा 2.54 हैक्टर में से 0.102 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन जोहड़ पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट का तर्क है कि उक्त विवादित जगहजी पर अपीलान्ट का काफी वर्षो से कब्जा चला आ रहा है तथा भूमि की किस्म गैर मुमकीन जोहड़ गलत रूप से रिकार्ड में दर्ज है। उक्त के संबंध में अपीलान्ट ने कोई साक्ष्य या दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जिससे उसके तर्को को सही माना जा सकें। अतिक्रमित भूमि की किस्म गैर मुमकीन जोहड़ है, जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। कानूनन प्रतिबन्धित श्रेणी पर किसी निजी व्यक्ति द्वारा किये गये कब्जे को वैध नहीं माना जा सकता। अपीलान्ट अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहें। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण जांच के बाद नियमानुसार आदेश पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः अदालत मातहत के निर्णय की पुष्टि करते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। रिकार्ड मातहत मय निर्णय की प्रति के प्रेषित हो। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड मातहत मय निर्णय की प्रति के प्रेषित हो। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/02/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू